# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 30/19 (223 आरटीए)
जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00064

उनवान

रामकिशन (मृतक)

1. तेजपाल
2. गंगाराम
3. नारायन
4. धर्मसिंह

} पुत्रान स्व. रामकिशन

5. हंसराम पुत्र ग्यासीराम

} जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.......... अपीलान्ट्स

बनाम

1. बुद्धाराम पुत्र ग्यासीराम जाति जाटव निवासी ग्राम लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

...........असल रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
3. एस.बी.आई. शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबन्धक नदबई।

..........तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

(मोहर: राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.))

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 152/2009 बउनवानी बुद्धाराम बनाम रामकिशन वगै. में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2014 डिक्री दिनांक 17.12.2014 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री नरेन्द्रपाल सिंह उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

**निर्णय** दिनांक : 28.01.2026

1. अपीलांट्स द्वारा यह अपील 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 152/2009 बउनवानी बुद्धाराम बनाम रामकिशन वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख.न. 1624, 1628, 1629, 1634, 1635 किता 5 रकबा 2.24 हैक्टेयर वाके ग्राम लुहासा तहसील नदबई का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य पृथक–पृथक कुर्रेजात निर्धारित कराकर पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करायी जावे एवं

(हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी सं. 1 रामकिशन को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। जिसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.01.2014 को दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया गया और कुर्रा रिपोर्ट तलब की गई, उक्त प्रकरण में कुर्रा रिपोर्ट 15.07.2014 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कुर्रा रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी दिनांक 01.12.2014 को निर्णय पारित कर दिनांक 17.12.2014 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाल सिंह एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तलबी फर्जकारी पूर्वक कराई गई, इसके अलावा वादी द्वारा फर्जकारी पूर्वक प्रतिवादी सं. 1 रामकिशन का वकालतनामा दिनांक 14.12.2009 को न्यायालय मे प्रस्तुत करवाया गया है। जिस पर हस्ताक्षर रामकिशन के फर्जकारी पूर्वक स्वयं वादी ने बनाये है जिसका प्रमाण एसबीआई बैंक का कृषि ऋण छूट प्रमाण–पत्र 30.03.2008 है जिसमें अपीलान्ट के पिता रामकिशन के असल हस्ताक्षर हो रहे है। उक्त प्रमाण–पत्र और अदालत तहत के समक्ष लगाये गये वकालतनामा दिनांक 14.12.09 का मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वकालतनामा पर रामकिशन के हस्ताक्षर फर्जी है लेकिन अदालत तहत ने उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। वादी द्वारा विभाजन का वादपत्र न्यायालय तहत मे पेश किया है लेकिन वादी द्वारा समस्त आराजी को वादपत्र में अंकित नही किया। वादी ने वादग्रस्त केवल 5 खसरा नम्बरान पर ही वाद प्रस्तुत किया है जबकि इसके अलावा खसरा नम्बर 1483 व 1486, 1972/1628, 1974/1629 व 1958/1640, 1960/1641 खसरा नम्बर भी ग्राम लुहासा तहसील नदबई में स्थित है। जिनमे भी वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 सह–खातेदार काश्तकार के रुप में दर्ज है लेकिन वादी द्वारा वादपत्र में जानबूझकर उपरोक्त खसरा नम्बरान का जिक्र नहीं किया है। इस कारण पूर्ण आराजी का विभाजन नही हुआ है लेकिन अदालत तहत ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। विभाजन के नियम 18 से 21 की कोई पालना नही की गई है तथा समस्त अच्छी–अच्छी बाराजी वादी के कुर्रे में दर्ज कर दिया है जबकि आराजी का विभाजन वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अपीलान्ट के पिता रामकिशन का स्वर्गवास दिनांक 05.10.2017 को हुआ है प्रकरण में अपीलान्ट अथवा उनके पिता रामकिशन को कोई सूचना नही दी गई रामकिशन का

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वकालतनामा भी फर्जी हस्ताक्षर कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया इस कारण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में व अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही कुर्रा रिपोर्ट तैयार कर वादी ने विभाजन कराकर राजस्व अभिलेख मे भी इन्द्राज करवा लिए। यद्यपि अपीलान्ट्स को आज तक उक्त इन्द्राजों की जानकारी नही हो पाई है अपीलान्ट द्वारा विभाजन से पहले के अनुसार ही आराजी पर काबिज होकर काश्त की जा रही है तथा पूर्वानुसार ही किसान क्रेडिट कार्ड पर ही ऋण लिया जा रहा है। अपीलान्ट्स द्वारा अभी तक राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज की कोई जानकारी नही है। दिनांक 19.04.2019 को असल रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को यह धमकी दी है कि उसने आराजी का विभाजन अपने अनुसार करा लिया है और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज भी करवा लिए हैं तथा अब मुताबिक इन्द्राज आराजी पर कब्जा करेगा तब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.04.2019 को न्यायालय मे आकर पत्रावली का अवलोकन किया व निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की जो दिनांक 23.04.2019 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई। यद्यपि प्रकरण में अपीलान्ट्स के पिता रामकिशन के हस्ताक्षर फर्जी है जिससे निर्णय व डिक्री नल एण्ड वोईड है और ऐसे आदेश की अपील की कोई लिमिट नही होती है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अपील में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 01.12.2014 व 17.12.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई निरस्त फरमाई जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम लुहासा तहसील नदबई स्थित है। जिसके वादी/रेस्पोडेन्ट असल व प्रतिवादी/अपीलान्ट्स बहिस्सा बराबर के सहखातेदार काश्तकार दर्ज रेवन्यू रिकार्ड हो रहे थे। उक्त विवादित आराजी का कोई कानूनी विभाजन नहीं हुआ था तथा आपस में हिस्सा कसी व लगान वगै0 का तनाजा बना रहता था वदी वजह वादी वाई मीट्स एण्ड वाउन्ड मुताबिक हिस्सा मनबट अनुसार पृथक–पृथक कुर्रेजात निर्धारित कराकर पृथक–पृथक अपने–अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी थे। इसलिए वादी/रेस्पोडेन्ट असल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से कुर्रा रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा उक्त कुर्रा रिपोर्ट राजस्थान राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार की गई है। तहसीलदार द्वारा कुर्रा रिपोर्ट विधिसम्मत रुप से बनाई गई है एवं सभी पक्षकारों का हिस्सानुसार ही विभाजन किया गया है। उक्त कुर्रा रिपोर्ट अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2014 व डिक्री दिनांक 17.12.2014 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 17.05.2019 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट असल सं. 1 ने दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रे प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार नदबई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नदबई से कुर्रा रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नदबई द्वारा पेश कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 15.07.2014 के आधार पर दिनांक 01.12.2014 को निर्णय एवं दिनांक 17.12.2014 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 संयुक्त खातेदारी की भूमि होने पर उसके बंटवारे का प्रावधान सह–खातेदारों के मध्य करती है। जिसके प्रावधान निम्नानुसार है :–**

**धारा 53, जोत का विभाजन :–**

(1) विलोपित

(2) जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा–

(i) सह–अभिधारियों के बीच

(क) जोत के ऐसे विभाजन, और

(ख) उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा या

(ii) एक या अधिक सह–अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश द्वारा।

(3) लोपित

(4) किसी एक या एक से अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में, सभी सह–अभिधारी और भू–धारक पक्षकार बनाये जायेंगे।

(5) एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते कि पक्षकार वे ही हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

धारा 53 को लागू करने के लिए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 में नियम 18 से 21 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

जोत विभाजन करने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 में किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

**(1) नियम 18 –** एक जोत के विभाजन तथा लगान के बंटवारे का सह–अभिधारियों द्वारा किया गया करार तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसकी वहां अधिकारिता है। तहसीलदार उस करार की शर्तों के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुसार जोत के विभाजन को प्रभावी (लागू) करेगा।

**(2) नियम 19 –** करार के आधार पर डिक्रित वाद में जोत का विभाजन : यदि जोत के विभाजन के वाद के लंबित रहने के दौरान उस वाद के सह–अभिधारी किसी करार (समझौते) पर आते हैं, तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्रीत किया जाएगा।

**(3) नियम 20 –** सक्षम न्यायालय की वाद में दी गयी डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सह–अभिधारी द्वारा लाए गए वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वह बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जावेगा–

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपातिक होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आंवटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहां तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटी की भूमि नहीं दी जाएगी,

(घ) जहां तक संभव हो, विद्यमान खेतों के टुकड़े नहीं किए जाएगें।

(ड) भू–खण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हों।

**(4) नियम 21 –** नक्शा बनाना और उप–विभाजित खेतों का अंकन (चिन्हित) करना तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भू–खण्ड अलग–अलग रंगों में दिखाया जाएगा और यदि खेत को उप–विभाजित किया गया है, तो पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

इस प्रकार वाद में सक्षम न्यायालय की दी गई डिक्री (प्रारम्भिक डिक्री) द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान नियम 20 व नियम 21 में दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में निम्न न्यायिक विनिश्चयों में यह निर्धारित किया गया है कि :–

**2017 RBJ 299 :-** कैलाश बनाम रमेश के मामले में माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के सम्बंध में निम्न मत व्यक्त किया है:–

1. It is mandatory that complete report has to be prepared by Tehsildar himself but he may take assistance of other officials as well.

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. Tehsildar himself go to the site
3. Tehsildar will issue a notice to all concerned parties that they have to be prepared for pre partition proposals at the site.

इसी न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि

"The Tehsildar prepare the proposal for division under his own seal and signature, he cannot simply forward the report submitted by ILR, Patwari and draftsman"

हस्तगत जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2014 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 17.12.2014 के विरुद्ध पेश की गई जो कि तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 15.07.2014 के अनुसार पारित की गयी है। उक्त कुर्रा रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुर्रा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है। जिसके उपरान्त उक्त कुर्रा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नदबई द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./14/2015 दिनांक 05.09.2014 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भिजवाई गई। कुर्रा रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कुर्रा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को तहसीलदार नदबई द्वारा सभी पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं किये गये। जबकि तहसीलदार नदबई को चाहिए था कि सभी पक्षकारों को व्यक्तिगत रुप से नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे एवं मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करते। इस रिपोर्ट को पेश करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को विधिसम्मत रुप से नोटिस/सूचना देकर तामील कराया जाना आवश्यक है कि वह उनकी भूमि सम्बन्धी बंटवारे की रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा राजस्थान राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। जबकि अन्तिम डिक्री पारित होने से पहले सभी पक्षकारों को इस बात का पता होना चाहिए कि प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार मौका कमिश्नर नियुक्ति का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है और वह किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नदबई को कुर्रे भिजवाने हेतु आदेशित किया है। तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी रिपोर्ट जो विधि के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना ना करते हुए तैयार की गयी है कुर्रा रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है जिससे यह साबित होता है कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नही की गयी क्योंकि विधि द्वारा जिस कार्य को जिस प्रकार करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है उसे उसी अनुसार सम्पादित करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त कुर्रे प्रस्तावों के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। नियमों के विपरीत तैयार किए गए विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री दिनांक 17.12.2014 को जारी करने में विधिक त्रुटि एवं तात्विक अनियमितता कारित की है। अतः विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि विरुद्ध अन्तिम निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नियमों के विपरीत तैयार किए गए विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.12.2014 व अन्तिम डिक्री दिनांक 17.12.2014 को जारी करने में विधिक त्रुटि एवं तात्विक अनियमितता कारित की है। हमारी राय में विधि विरुद्ध जारी निर्णय दिनांक 01.12.2014 व अन्तिम डिक्री दिनांक 17.12.2014 निरस्त होने योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2014 व अन्तिम डिक्री दिनांक 17.12.2014 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावें। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की तारीख तय कर उभयपक्ष को नोटिस जारी करेगें एवं विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में मय नजरी नक्शा व फर्द को तैयार करेगें एवं प्रत्येक सह–खातेदार के खेत तक पहुंचने का रास्ता एवं लगान के बंटवारे के प्रस्ताव भी अलग–अलग तैयार कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/ विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिए गए निर्देशों एवं निर्धारित प्रारुप में स्वयं मौके पर जाकर तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करेगें एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सह–खातेदारान की आपत्तियों आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार उनका निस्तारण करते हुए विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पुनः पारित करें। संबंधित पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष दिनांक 24.02.2026 को उपस्थित होवें।

11. निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर